

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं

अनुवान सांवतराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 593/2025

निर्णय दिनांक19/12/25

सांवत राम पुत्र मोहन राम जाति मेघवाल निवासी सहजूसर तहसील चूरु जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया

है कि खाता संख्या 250 के खसरा नं. 1034 तादादी 5.5764 है0, खसरा नं. 3031/1003 तादादी 8.7968

है0 रोही ग्राम सात्यूं तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम सांवतराम पुत्री मोहन राम दर्ज है

जो कि गलत है। जबकि सही नाम सांवत राम पुत्र मोहन राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम

शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की

गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न

दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी

जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम सांवतराम पुत्री मोहन राम के स्थान पर सांवत राम पुत्र मोहन राम किये जाने

की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 250 के खसरा नं. 1034 तादादी 5.5764 है0, खसरा नं. 3031/1003

तादादी 8.7968 है0 रोही ग्राम सात्यूं तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सांवतराम पुत्री

मोहन राम Delete कर इसके स्थान पर सांवत राम पुत्र मोहन राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती

के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर

को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक19/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में लिखाया

जाकर सुनाया गया।



Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)